



CF 309

## न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर

निर्गरानी - ५९४७/२०१८/पन्ना/भू-र.

रबी उर्फ रविकांत कुशवाहा तनय मनोज कुमार कुशवाहा

निवासी धाम मोहल्ला, पन्ना

जिला पन्ना

आवेदक

विरुद्ध

1. म.प्र.शासन
2. किशोरी बाई कुशवाहा पत्नि स्व. चन्द्रप्रकाश कुशवाहा

निवासी धाम मोहल्ला, पन्ना

B.O.R.  
जिला पन्ना

.....अनावेदकगण

09 JUL 2018

## निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित आवेदक न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 1295/अपील/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 21/5/18 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह अपील श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :-

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सुनहरा स्थित भूमि खसरा क्रमांक 88/3 रकवा 0.033 हे भूमि अनावेदक क्र 2 के भूमिस्वामी स्वामित्व में दर्ज भूमि थी जिसे अनावेदक क्र 2 द्वारा आवेदक को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22/2/17 के माध्यम से विक्रय कर मालकाना हक व कब्जा सौमा गया तथा विक्रय पत्र के आधार पर आवेदक द्वारा नामांतरण हेतु एक आधिदन पत्र तहसीलदार पन्ना के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें उनके द्वारा विधि विपरीत आदेश पारित किया गया जिसके विरुद्ध एक अपील आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी पन्ना के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसमें अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधि विरुद्ध आदेश पारित किया गया है जिसके विरुद्ध आवेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त सागर संभाग के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसे उनके द्वारा बिना सुनवाई के मनमाने तौर पर प्रारंभिक स्तर पर ही निरस्त कर दिया गया है जिससे परिवेदित होकर आवेदक की यह निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

16(8)  
Jaiswal  
(27/7/18)

3

D. Jaiswal  
(27/7/18)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ  
भाग—अ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4947 / 2018 / पन्ना / भूरा०

रबी उर्फ रविकांत कुशवाहा

विरुद्ध

म०प्र० शासन आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षव अभि आदि व
०८ -०३-१९	<p>आवेदक अभिभाषक श्री नितेन्द्र सिंघई को प्रकरण के ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया।</p> <p>2/ आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण क्रमांक 1295 / अप्रैल / 2017-18 में पारित आदेश दिनांक 11-5-2018 के विरुद्ध म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>3/ निगरानी मेमो का अवलोकन किया एवं आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। इस प्रकरण में आवेदिका ने ग्राम सुनहरा की भूमि खसरा क्रमांक ०३/३ रकवा ०.०३३ हेठो भूमि अनावेदक क्रमांक २ से विक्य उपरांत नामांतरण हेतु आवेदन तहसीलदार पन्ना के समक्ष प्रस्तुत किया जिसपर तहसीलदार ने पटवारी प्रतिवेदन प्राप्त कर इश्तहार प्रकाशन किया। पटवारी रिपोर्ट के बनुसार प्रश्नाधीन भूमि वर्ष वर्ष १९५५-५६ में म०प्र० शासन दर्ज होना एवं वर्ष १९६१-६२ में रामदयाल पिता अनंता काढ़ी के नाम की टीप अंकित होने का लेख किया। स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि शासकीय भूमि थी जिसका बंटन किया गया था। इसी कारण तहसीलदार ने आदेश दिनांक १२-०९-२०१७ को यह निष्कर्ष निकालते हुये कि बिना विक्य अनुमति के प्रश्नाधीन भूमि का विक्य किया है इसलिए आवेदन पत्र निरस्त किया। इसी कारण</p>	<i>byars</i>



अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार द्वारा पारित आदेश को उचित माना। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को अपर आयुक्त द्वारा स्थिर रखा गया है। मोप्र० मू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(7)(ख) के अन्तर्गत बिना कलेक्टर की अनुमति के किया गया विकाय वैध नहीं माना जा सकता। इस संबंध में 2007 आर एन 2018 रहीम खां विरुद्ध सुरेश चन्द्र में माननीय उच्च न्यायालय में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपदित किया है—

“पट्टे में शासन द्वारा जमीन दी गई है तो दस वर्ष तक उसका अंतरण नहीं किया जा सकता है, यदि 10 वर्ष बाद भी अंतरण करना हो तो कलेक्टर की अनुमति आवश्यक है। अनुमति के बिना अंतरण शून्य है।

ऐसी स्थिति में तहसीलदार सहित दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा पारित उचित है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। फलस्वरूप यह निगरानी प्रथमदृष्ट्या ही आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है।

पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।

(आज.के.जैन)

संतुल्य ०८/३११९